सत्यमेव जयते

असम सरकार

असम के माननीय राज्यपाल,
श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का अभिभाषण

प्रथम सत्र

१६ वीं

असम विधान सभा

२२ मई, २०२६

------- स्थान ------

असम विधान सभा, दिसपुर

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं इस गरिमामयी सदन के आदरणीय सदस्यगण,

असम विधानसभा की सोलहवीं विधानसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करना मेरे लिए अत्यंत गौरव और सौभाग्य की बात है।

मैं माननीय अध्यक्ष श्री रंजीत दास जी को अपनी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ। उनके समृद्ध विधायी अनुभव, लंबे सार्वजनिक जीवन तथा जनसेवा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को देखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे इस माननीय सदन की गरिमा और उच्च परंपराओं को बुद्धिमत्ता एवं निष्पक्षता के साथ बनाए रखेंगे।

मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा जी को लगातार दूसरी बार पदभार ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई देता हूँ। पिछले पाँच वर्षों में उनके गतिशील नेतृत्व एवं परिवर्तनकारी शासन ने जनता का विश्वास और ऐतिहासिक जनादेश प्राप्त किया है। असम को अधिक प्रगति एवं समृद्धि की ओर ले जाने के लिए मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ।

मैं इस माननीय सदन के सभी नव-निर्वाचित सदस्यों को भी हार्दिक बधाई देता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप सभी महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों, विशेषकर समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्गों की सेवा की भावना से प्रेरित होकर, ईमानदारी एवं समर्पण के साथ जनता की सेवा करेंगे।

अतः माननीय सदस्यगण, इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं अपने संबोधन की शुरुआत ऋग्वेद के एकता के एक सरल किंतु भव्य मंत्र से करना चाहता हूँ ---
संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम् ।
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥

(अर्थ -- “साथ चलो, साथ बोलो, और अपने मनों को एकता एवं समरसता में जोड़ो।”)

यह सनातन वैदिक प्रार्थना हमें स्मरण कराती है कि प्रगति और समृद्धि तभी संभव है जब हम साझा उद्देश्य, पारस्परिक सम्मान और सामूहिक संकल्प के साथ कार्य करें। यह हमें मतभेदों से ऊपर उठकर असम के प्रत्येक नागरिक के कल्याण, शांति और आकांक्षाओं के प्रति स्वयं को समर्पित करने का आह्वान करती है।

1. चुनाव का पर्व, असम का गर्व

माननीय सदस्यगण,

1.1. भारत में चुनाव ही लोकतंत्र की बुनियाद हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद असम में पहला चुनाव 27 मार्च 1952 को आयोजित किया गया था। तब से लेकर पिछले सात दशकों से अधिक समय तक राज्य और राष्ट्र की जनता तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं ने मिलकर इस आधारशिला को सुरक्षित एवं सुदृढ़ किया है। हाल ही में सम्पन्न असम विधानसभा चुनाव इस लोकतांत्रिक यात्रा में एक ऐतिहासिक पड़ाव के रूप में स्मरण किए जाएंगे। वास्तविक अर्थों में ये चुनाव लोकतंत्र का उत्सव बन गए।

1.2. 85.96 प्रतिशत का अभूतपूर्व मतदान और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पक्ष में स्पष्ट एवं प्रचंड जनादेश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता के विश्वास का प्रमाण है। मैं भारत निर्वाचन आयोग, राज्य प्रशासन, सुरक्षा बलों, राजनीतिक दलों और सबसे बढ़कर असम की जनता को शांतिपूर्ण एवं सफल चुनाव संपन्न कराने के लिए बधाई देता हूँ। मैं लोकतांत्रिक संस्थाओं में पुनः अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए जनता के प्रति आभार भी प्रकट करता हूँ।

1.3. यह जनादेश निरंतरता के पक्ष में स्पष्ट समर्थन है। वर्ष 2014 से, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता लगातार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दृष्टिकोण और शासन का समर्थन करती रही है। इन चुनावों में पूर्व-निर्वाचन गठबंधन ने 126 में से अभूतपूर्व 102 सीटें प्राप्त कीं, जो सरकार के प्रति जनता के अपार समर्थन को दर्शाती है।

2. शांति, स्थिरता और समावेशी विकास

2.1. यह जनादेश पिछले दस वर्षों में अपनाई गई शांति, आर्थिक स्थिरता और समावेशी विकास की नीतियों के प्रति जनता के समर्थन को दर्शाता है। शांति स्थापना के क्षेत्र में उपलब्धियाँ महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक रही हैं। आज सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम केवल 35 में से 3 जिलों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों से हटा लिया गया है।

2.2. कई शांति समझौते एवं समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं और 10,000 से अधिक पूर्व उग्रवादी मुख्यधारा में लौट चुके हैं। ये उपलब्धियाँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के सक्रिय सहयोग और मार्गदर्शन से संभव हो सकी हैं। असम की जनता की ओर से मैं उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

2.3. इसके साथ ही, मैं यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (इंडिपेंडेंट), से अपील करता हूं जो इस शांति प्रक्रिया से बाहर रहने वाला एकमात्र प्रमुख संगठन है, कि वे मुख्यधारा में शामिल होकर असम के विकास एवं प्रगति में योगदान दे।

2.4. राज्य ने आर्थिक क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। पिछले पाँच वर्षों में असम का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) लगभग 16 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि विकास दर से बढ़ा है। असम वर्ष 2028–29 तक दस लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है।

2.5. वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय पिछले कुछ वर्षों में दोगुनी से अधिक हो गई है। पूंजीगत व्यय वर्ष 2021–22 में 13,502 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2025–26 में 26,531 करोड़ रुपये हो गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि निवेश में इस बड़ी वृद्धि के बावजूद राज्य ने ऋण-से-GSDP अनुपात को 25 प्रतिशत से नीचे बनाए रखा है, जो अनुमत 32 प्रतिशत की सीमा के भीतर है।

2.6. असम भारत सरकार की विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत अनुदान प्राप्त करने वाले अग्रणी राज्यों में भी उभरकर सामने आया है।

2.7. राज्य में क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात 48 प्रतिशत से बढ़कर 72 प्रतिशत हो गया है, जो बढ़ती आर्थिक गतिविधियों और वित्तीय समावेशन को दर्शाता है। ये सभी विकास असम की आर्थिक संभावनाओं में बढ़ते विश्वास का संकेत हैं।

2.8. इसके साथ ही, हम उभरती वैश्विक चुनौतियों के प्रति भी सजग हैं। पश्चिम एशिया में चल रहा संकट विश्व की अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव डाल रहा है। हालांकि असम की अर्थव्यवस्था स्थिर और मजबूत बनी हुई है, परंतु राष्ट्रीय और वैश्विक परिस्थितियाँ सतर्कता एवं जिम्मेदारी की मांग करती हैं।

2.9. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा मितव्ययिता एवं विवेकपूर्ण आर्थिक व्यवहार के लिए दिए गए राष्ट्रीय आह्वान के अनुरूप, मैं जनता से अपील करता हूँ कि वे कुछ समय तक अनावश्यक खर्चों, अत्यधिक स्वर्ण खरीद तथा गैर-आवश्यक विदेशी यात्राओं से परहेज करें, क्योंकि इससे देश की विदेशी मुद्रा स्थिति प्रभावित हो सकती है। सामूहिक जिम्मेदारी और विवेकपूर्ण आर्थिक आचरण इस चुनौतीपूर्ण समय में राष्ट्र को सशक्त बनाएगा।

3. अवैध घुसपैठ, सीमा बाड़बंदी और आंतरिक सुरक्षा

माननीय सदस्यगण,

3.1. पड़ोसी देश से होने वाली अवैध घुसपैठ लंबे समय से असम और राष्ट्र दोनों के लिए गंभीर सुरक्षा चिंता का विषय रही है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के कई हिस्सों, विशेषकर पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में, बाड़बंदी न होने के कारण घुसपैठ रोकने के प्रयास वर्षों तक बाधित रहीं। इस संदर्भ में पश्चिम बंगाल की नव-निर्वाचित सरकार द्वारा

सीमा बाड़बंदी हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण एवं स्वागतयोग्य कदम है। इससे भारत-बांग्लादेश सीमा के शेष हिस्सों में बाड़बंदी कार्य को तेजी मिलेगी।

3.2. राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध सरकारें अब केंद्र, असम और पश्चिम बंगाल में समन्वित रूप से कार्य कर रही हैं। इस दीर्घकालिक चुनौती से निपटने के लिए अब एक मजबूत एवं एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। सिलिगुड़ी कॉरिडोर जैसे रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों सहित सीमा बाड़बंदी का कार्य पूरा होने से सीमा प्रबंधन और अधिक सुदृढ़ होगा तथा घुसपैठ पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा। मेरी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता के व्यापक हित में भारत सरकार एवं पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर काम करेगी और पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी।

4. अस्मिता, संस्कृति और स्वदेशी लोगों के अधिकारों की रक्षा

4.1 अंतरराष्ट्रीय सीमा को सुरक्षित करने और अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के साथ-साथ, मेरी सरकार सद्भाव, समानता और साझा सभ्यतागत मूल्यों पर आधारित वृहत्तर असमीया समाज के पुनर्निर्माण और उसे सुदृढ़ करने के प्रति अपने प्रतिबद्ध प्रयास जारी रखेगी। यह विज़न महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव के शाश्वत आदर्शों से प्रेरणा ग्रहण करती है, जिन्होंने विभिन्न समुदायों और जनजातियों के बीच एकता के बीज बोए तथा समानता, आध्यात्मिक मानवतावाद तथा सामूहिक पहचान पर आधारित एक समावेशी और जाति-विहीन असमीया समाज की स्थायी नींव रखी। उन्हें हमारी सभ्यता के आंतरिक स्वरूप और उसके मूलभूत ताने-बाने की गहरी समझ थी।

किरात कछारी खासी गारो मिरी यवन कंक गोवाल।
असम मुलुक धोबा जे तुरुक कुबाच म्लेच्छ चंडाल।
आनो पापी नर कृष्ण सेवकर संगत पवित्र होय।
भक्ति लभिया संसार तरिया वैकुण्ठे सुखे चलय।।

ये अमर वचन उस शाश्वत एकता और आध्यात्मिकता के संदेश को अभिव्यक्त करते हैं, जो असम के सभी समुदायों और जातीय समूहों को एक व्यापक असमिया समाज के सूत्र में बांधते हैं। इसी महान दृष्टि से प्रेरित होकर, मेरी सरकार सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक एकीकरण को सुदृढ़ करने के साथ-साथ असम के लोगों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान की दृढ़तापूर्वक रक्षा करने हेतु कार्य करती रहेगी। यह प्रयास महापुरुष श्रीमंत

शंकरदेव, महापुरुष माधवदेव, महापुरुष दामोदरदेव तथा अन्य दूरदर्शी समाज-सुधारकों द्वारा स्थापित स्थायी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आधारों से निरंतर प्रेरणा लेता रहेगा।

4.2. मेरी सरकार राज्य के स्वदेशी लोगों एवं जनजातीय समुदायों के अधिकारों, परंपराओं, भूमि और विरासत की निरंतर रक्षा करती रहेगी।

आत्मरक्षा-देशरक्षार जि डाक परे सन्मुखत
सेइ डाकतेइ जाप दि परि होइ पर कर्तव्य रत।
– अम्बिकागिरी रायचौधरी

जनजातीय बेल्ट एवं ब्लॉकों की सुरक्षा, सामुदायिक भूमि अधिकारों का संरक्षण तथा स्वदेशी समुदायों के संवैधानिक संरक्षण शासन की प्राथमिकताओं में शामिल रहेंगे। असम के सभ्यतागत मूल्यों, सांस्कृतिक विविधता और समन्वित अस्मिता को संरक्षित रखने वाली संस्थाओं को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा।

4.3. इस दिशा में, माननीय मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा जी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक में समान नागरिक संहिता से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने वर्तमान सत्र में ही इस विधेयक को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। यह सामाजिक सद्भाव, न्याय, लैंगिक समानता और आधुनिक प्रगतिशील समाज को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

5. संतुलित एवं त्वरित विकास तथा असम के युवाओं के लिए राज्य के भीतर रोजगार

माननीय सदस्यगण,

5.1. जनता से प्राप्त प्रचंड जनादेश और पिछले पाँच वर्षों की उपलब्धियों के आधार पर मेरी सरकार ने अगले पाँच वर्षों के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण तैयार किया है।

इस दृष्टिकोण का मुख्य केंद्र असम के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजत करना होगा। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि राज्य के युवा असम की प्रगति और समृद्धि में सक्रिय भागीदार बनें।

5.2. मेरी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए भी समान रूप से प्रतिबद्ध है कि असम के प्रत्येक युवा को राज्य के विकास में योगदान देने और उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिले। जनता के व्यापक समर्थन से स्वीकृत संकल्प पत्र में किए गए वादों के अनुरूप, पहली कैबिनेट बैठक में राज्य में दो लाख रोजगार के अवसर सृजित करने का निर्णय भी लिया गया है।

5.3. मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में संतुलित एवं तीव्र विकास को आगे बढ़ाएगी। इसमें कृषि, दुर्लभ खनिजों का खनन, विनिर्माण, सुपरक्रिटिकल तापीय ऊर्जा, पंप स्टोरेज परियोजनाएँ तथा अन्य उभरते उद्योग शामिल हैं। अंतरिक्ष, रक्षा विनिर्माण और उन्नत प्रौद्योगिकियों सहित उदीयमान क्षेत्रों और अत्याधुनिक तकनीकों पर विशेष बल दिया जाएगा। साथ ही, वित्तीय सेवाएँ, डिजिटल बैंकिंग और डाटा सेंटर जैसे सेवा क्षेत्र को सुदृढ़ कर असम को क्षेत्रीय आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा।

5.4. इस परिवर्तन की आधारशिला 'एडवांटेज असम 2.0' पहल के माध्यम से पहले ही रखी जा चुकी है। 25 और 26 फरवरी 2025 को आयोजित शिखर सम्मेलन के दौरान 5.18 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से 3.10 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ हो चुका है। लगभग 60 प्रतिशत परियोजनाएँ उन्नत कार्यान्वयन चरण में हैं तथा कई परियोजनाएँ पहले से संचालित हो रही हैं।

5.5. अगले पाँच वर्षों में मेरी सरकार इस गति को और आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। सभी प्रमुख परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कर उन्हें संचालित करने को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य राज्य के भीतर बड़े पैमाने पर रोजगार अवसर

उत्पन्न करना तथा ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित करना है जिससे असम के युवा अपना भविष्य और करियर असम में ही बना सकें।

6. असम शीघ्र ही ऊर्जा अधिशेष राज्य बनेगा

माननीय सदस्यगण,

6.1. आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि अगले पाँच वर्ष असम की विकास यात्रा में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि का साक्षी बनने जा रहे हैं। राज्य पहली बार ऊर्जा अधिशेष राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है। वर्तमान वर्ष में असम में विद्युत की अधिकतम मांग लगभग 3,100 मेगावाट तक पहुँचने का अनुमान है, और वर्ष 2031 तक औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के अनुरूप इसमें और उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है।

6.2. इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मेरी सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में महत्वाकांक्षी विस्तार कार्यक्रम प्रारंभ किया है। 3,200 मेगावाट सुपरक्रिटिकल तापीय विद्युत उत्पादन क्षमता तथा 4,200 मेगावाट पंप स्टोरेज जलविद्युत क्षमता वाली परियोजनाओं का निर्माण कार्य पहले ही प्रारंभ हो चुका है। इसके अतिरिक्त कई अन्य विद्युत उत्पादन परियोजनाएँ भी प्रगति पर हैं। ये सभी परियोजनाएँ राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएँगी और असम को क्षेत्र का प्रमुख ऊर्जा केंद्र बनाएंगी।

6.3. मेरी सरकार ने 'पीएम सूर्य घर योजना' का सफल क्रियान्वयन भी किया है। इस योजना के अंतर्गत असम देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उभरा है। 1.25 लाख से अधिक परिवारों ने रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित कर लिए हैं, जिससे लगभग 410 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन हो रहा है और राज्य की हरित ऊर्जा यात्रा को मजबूती मिल रही है।

6.4. संतुलित और भविष्य उन्मुख ऊर्जा मिश्रण के माध्यम से असम उद्योगों और घरों दोनों को विश्वसनीय, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने में सक्षम होगा। यह परिवर्तन न केवल औद्योगिक विकास और निवेश को प्रोत्साहित करेगा बल्कि राज्यभर में लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार लाएगा।

7. अगले पाँच वर्षों के लिए आर्थिक एवं वित्तीय रोडमैप

7.1. मेरी सरकार साक्ष्य-आधारित योजना, संस्थागत सुधार और समावेशी विकास के माध्यम से दीर्घकालिक आर्थिक परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। पिछले कुछ वर्षों में शासन, आधारभूत संरचना और मानव विकास में हासिल की गई प्रगति के आधार पर मेरी सरकार “विकसित असम रोडमैप 2047” तैयार कर रही है, जो समृद्ध, टिकाऊ और वैश्विक प्रतिस्पर्धी असम की व्यापक दृष्टि प्रस्तुत करेगा।

7.2. अगले पाँच वर्षों में डेटा-आधारित शासन, जिला स्तरीय योजना और परिणाम-आधारित नीतिगत हस्तक्षेपों पर विशेष बल दिया जाएगा। जिला घरेलू उत्पाद (DDP) का आकलन, जिला विज़न दस्तावेजों की तैयारी तथा आकांक्षी जिलों एवं ब्लॉकों पर निरंतर ध्यान “विकसित भारत 2047” के दृष्टिकोण के साथ स्थानीय विकास प्राथमिकताओं को जोड़ने में सहायक होगा।

7.3. सूचित नीति-निर्माण और वास्तविक समय की निगरानी को और मजबूत करने के लिए मेरी सरकार नीति आयोग के सहयोग से "राज्य डेटा विश्लेषण पोर्टल" तथा “विकसित असम स्ट्रैटेजिक रूम” जैसी उन्नत डिजिटल शासन प्रणालियाँ स्थापित करने का प्रस्ताव रखती है। ये पहलें तेज निर्णय-निर्माण, बेहतर योजना क्रियान्वयन और विकास की प्रभावी समीक्षा में सहायक होंगी।

माननीय सदस्यगण,

7.4. असम की अर्थव्यवस्था निरंतर मजबूत और गतिशील विकास का प्रदर्शन कर रही है। वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) वित्तीय वर्ष 2026–27 में

8.71 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है, जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में यह 4.11 लाख करोड़ रुपये था। पिछले पाँच वर्षों में रखी गई मजबूत आर्थिक नींव के आधार पर मेरी सरकार अब इन उपलब्धियों को और सुदृढ़ करते हुए असम को 2028 तक दस लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में अग्रसर करेगी।

7.5. वित्तीय प्रबंधन और सार्वजनिक व्यय दक्षता में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल करने के बाद, मेरी सरकार अगले पाँच वर्षों में सुधारों को और गहरा करने तथा शासन प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए ठोस रणनीति अपनाएगी। वर्ष 2025–26 में लगभग 85 प्रतिशत तक पहुँचे बजट उपयोग को बेहतर क्रियान्वयन क्षमता, निगरानी और परिणामोन्मुख व्यय के माध्यम से और बढ़ाया जाएगा।

7.6. वित्तीय वर्ष 2025–26 में पूंजीगत व्यय में हुई उल्लेखनीय वृद्धि ने विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक आधारभूत संरचना की मजबूत नींव तैयार की है। आने वाले पांच वर्षों में मेरी सरकार उच्च आर्थिक विकास को बनाए रखने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सड़कों, पुलों, स्वास्थ्य, शहरी अवसंरचना और अन्य उत्पादक परिसंपत्तियों में इन निवेशों का विस्तार किया जाएगा।

7.7. राज्य के स्वयं के राजस्व स्रोत वित्तीय वर्ष 2021–22 के 23,113 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष वित्तीय वर्ष 2025–26 में 39,294 करोड़ रुपये हो गए हैं। यह कर सुधारों, उत्पाद शुल्क और अन्य राजस्व सृजन क्षेत्रों में सुधारों का परिणाम है। मेरी सरकार आंतरिक संसाधन जुटाने तथा दुर्लभ खनिज, अधिशेष विद्युत उत्पादन और अन्य उभरते क्षेत्रों के माध्यम से नए राजस्व स्रोत विकसित करने का कार्य जारी रखेगी।

7.8. सरकार पारदर्शी प्रशासन, वैज्ञानिक अन्वेषण और सतत खनन पद्धतियों के माध्यम से असम की खनिज क्षमता को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में खनन क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार, चूना पत्थर खदानों की सफल नीलामी और रिकॉर्ड रॉयल्टी संग्रह ने औद्योगिक विकास और राजस्व वृद्धि की मजबूत नींव तैयार की है।

7.9. अगले पाँच वर्षों में आधुनिक, प्रौद्योगिकी-आधारित और पर्यावरण के अनुकूल खनन प्रणाली के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। निवेश, रोजगार और राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण और दुर्लभ खनिजों की खोज, पारदर्शी नीलामी प्रणाली तथा खनिज ब्लॉकों के शीघ्र संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

7.10. खनिज निष्कर्षण और परिवहन की निगरानी एवं नियमन को मजबूत करने के लिए एकीकृत खान एवं खनिज प्रबंधन प्रणाली लागू की जाएगी। खनन कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता और स्थिरता लाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, ड्रोन-आधारित निगरानी और डिजिटल ट्रैकिंग जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।

7.11. इन पहलों से खनन क्षेत्र औद्योगिकीकरण, रोजगार सृजन और आंतरिक संसाधन जुटाने का प्रमुख माध्यम बनेगा, साथ ही पर्यावरणीय संतुलन और सतत विकास भी सुनिश्चित होगा।

7.12. उत्पाद शुल्क विभाग पारदर्शिता बढ़ाने, अनुपालन में सुधार करने, अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने और राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए लाइसेंस और अनुमतियां जारी करने के लिए निर्बाध, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-संचालित प्रणालियों के माध्यम से उत्पाद शुल्क प्रशासन का आधुनिकीकरण करेगा। मेरी सरकार पारंपरिक पेय पदार्थों को औपचारिक रूप देने, विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए एक 'स्वदेशी पेय नीति' शुरू करने की योजना बना रही है।

7.13. पिछले पाँच वर्षों में सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, आधार-आधारित सत्यापन और एकीकृत कल्याण वितरण प्लेटफॉर्म जैसे महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। अगले चरण में लाभार्थियों तक समयबद्ध, लक्षित और पारदर्शी लाभ पहुँचाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

7.14. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ (EAPs), ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF), शहरी अवसंरचना विकास निधि (UIDF) और अन्य संस्थागत वित्तीय तंत्रों ने असम में विकास कार्यों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अनुभव के आधार पर, मेरी सरकार बुनियादी ढांचे के निर्माण और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को गति देने के लिए 16वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान ऐसे वित्तपोषण चैनलों के माध्यम से पर्याप्त निवेश हासिल करने का प्रयास करेगी।

7.15. असम में क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आने वाले वर्षों में मेरी सरकार इसे राष्ट्रीय औसत से ऊपर ले जाने के लिए कृषि, एमएसएमई, स्टार्टअप्स, उद्यमियों और स्वरोजगार क्षेत्रों में संस्थागत ऋण सहायता का विस्तार करके इसे राष्ट्रीय औसत से काफी ऊपर ले जाने की दिशा में काम करेगी।

7.16. 'ओरुनोडई 3.0', जो अब लगभग 40 लाख लाभार्थी परिवारों को कवर करता है, राज्य में सबसे बड़े सामाजिक सहायता योजनाओं में से एक बनकर उभरा है। पहले से निर्मित मजबूत कल्याणकारी ढांचे के आधार पर, मेरी सरकार सामाजिक सुरक्षा को अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी-सक्षम वितरण प्रणालियों और लाभार्थी प्रबंधन तंत्र को और मजबूत करेगी।

7.17. चाय क्षेत्र असम की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। असम चाय उद्योग विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत, ऑर्थोडॉक्स और विशेषता वाली चाय के लिए लक्षित सहायता के उत्साहजनक परिणाम मिले हैं, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ऑर्थोडॉक्स चाय के निर्यात में 40 मिलियन किलोग्राम की भारी वृद्धि शामिल है। अगले पांच वर्षों में, मेरी सरकार असम को प्रीमियम ऑर्थोडॉक्स चाय के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में काम करेगी, जिसका लक्ष्य कुल चाय निर्यात में ऑर्थोडॉक्स चाय का हिस्सा बढ़ाकर लगभग आधा करना है।

7.18. सरकारी कर्मचारियों के लिए आपून घर', 'आपून बाहन', 'अभिनंदन' और बीमा सहायता योजनाओं जैसी कल्याणकारी पहलों ने कर्मचारियों और उनके परिवारों को

सार्थक सहायता प्रदान की है। इन पहलों को आगे बढ़ाते हुए, मेरी सरकार संतुलित और राजकोषीय रूप से स्थायी तरीके से कर्मचारी कल्याण उपायों को मजबूत करना जारी रखेगी।

7.19. असम को भारत के पूर्वी प्रवेश द्वार और पूर्वोत्तर के एक प्रमुख विकास इंजन के रूप में बदलने के लिए, मेरी सरकार 5 लाख करोड़ के निवेश दृष्टिकोण के साथ 'असोम गति शक्ति मास्टर प्लान' को लागू करने का प्रस्ताव करती है। अगले पांच वर्ष पूरे राज्य में कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स, शहरी बुनियादी ढांचे और आर्थिक गलियारों में बड़े निवेश के माध्यम से असम के रणनीतिक लाभों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

7.20. राजकोषीय स्थिरता और सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालियों को मजबूत करने के व्यापक उद्देश्य के अनुसार मेरी सरकार द्वारा भविष्य के वेतन संशोधन और कर्मचारी कल्याण से संबंधित उपयुक्त उपायों पर भी विचार किया जाएगा।

8. जाति, माटी और भेटी की रक्षा

समान नागरिक संहिता, और स्वदेशी लोगों के जीवन, आजीविका और नौकरियों का संरक्षण

8.1. मेरी सरकार असम के लोगों, विशेष रूप से राज्य के जनजातीय, स्वदेशी तथा अन्य संरक्षित समुदायों की पहचान, भूमि अधिकारों, सुरक्षा और संवैधानिक हितों की रक्षा के प्रति दृढ़तापूर्वक प्रतिबद्ध है। हाल के वर्षों में उठाए गए निर्णायक कदमों को आगे बढ़ाते हुए, आगामी पाँच वर्षों में स्वदेशी अधिकारों और जनसांख्यिकीय सुरक्षा के संरक्षण हेतु कानूनी एवं प्रशासनिक ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

8.2. अवैध प्रवासियों की पहचान और उन्हें वापस भेजने में तेजी लाने के लिए 'प्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950' के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी कदम

उठाए जाएंगे। मेरी सरकार राज्य के जनसांख्यिकीय संतुलन और सामाजिक-सांस्कृतिक स्वरूप की रक्षा के लिए वैध और निरंतर उपाय जारी रखेगी।

8.3. मेरी सरकार लक्षित विकास पहलों और उन्नत बुनियादी ढांचे के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों और जीवन स्तर में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत-बांग्लादेश और भारत-भूटान सीमाओं पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 140 सीमावर्ती गांवों को कवर करने वाले 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II' के तहत चल रहे प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, मेरी सरकार सीमा सद्भावना कार्यक्रमों, सीमा दर्शन पहलों, ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट मार्केट हब की स्थापना, अंतर-राज्यीय सीमा क्षेत्रों में 24 पुस्तकालयों के निर्माण तथा बेहतर बुनियादी ढांचे, नागरिक सुविधाओं, डिजिटल कनेक्टिविटी और सार्वजनिक सेवाओं के साथ सात सीमावर्ती गांवों को स्मार्ट/मॉडल गांवों के रूप में विकसित करके सीमावर्ती क्षेत्रों को और मजबूत करेगी, जिससे सीमावर्ती समुदायों का समावेशी विकास, लचीलापन और राज्य के विकास पथ के साथ मजबूत एकीकरण सुनिश्चित होगा।

8.4. मेरी सरकार समान नागरिक संहिता के अधिनियमन और क्रियान्वयन की दिशा में भी कार्य करेगी, जिससे जनजातीय एवं स्वदेशी समुदायों के पारंपरिक अधिकारों, प्रथागत रीति-रिवाजों और सामाजिक संस्थाओं का पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित हो। इसका उद्देश्य समानता और न्याय सुनिश्चित करना होगा, साथ ही असम के स्वदेशी समाज की विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक व्यवस्थाओं को संरक्षित रखना भी होगा।

8.5. स्वदेशी भूमि पर अवैध अतिक्रमण, संगठित सीमा पार मवेशी तस्करी और सामाजिक सद्भाव, सार्वजनिक व्यवस्था और कानून सम्मत शासन के लिए हानिकारक अन्य गतिविधियों को रोकने के लिए विधायी और प्रशासनिक उपायों को मजबूत किया जाना जारी रहेगा। संवेदनशील युवाओं को चरमपंथी प्रभावों से बचाने और

संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक एकजुटता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित 'काउंटर-रेडिकलाइजेशन सेल' भी स्थापित किया जाएगा।

8.6. सरकार नागरिक सुरक्षा, महिला सुरक्षा और शांति व सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। हाल के वर्षों में पुलिसिंग और आंतरिक सुरक्षा में हासिल किए गए महत्वपूर्ण सुधारों के आधार पर, अगला चरण गहन आधुनिकीकरण, सामुदायिक भागीदारी और प्रौद्योगिकी-सक्षम पुलिसिंग प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

8.7. महिला पुलिस थानों, महिला हेल्प डेस्क, पिंक पेट्रोलिंग और 24x7 महिला सुरक्षा हेल्पलाइन के माध्यम से महिला-केंद्रित पुलिसिंग पहलों को और मजबूत किया जाएगा। एक समर्पित एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स और 'नशा मुक्त असम अभियान' के विस्तार के माध्यम से नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई को तेज किया जाएगा।

8.8. मेरी सरकार राज्य भर में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों के पुनर्वास, कौशल विकास और सामाजिक-आर्थिक एकीकरण के उपायों के साथ-साथ विभिन्न शांति समझौतों के निरंतर कार्यान्वयन को जारी रखेगी। सरकार असम के स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए बलिदानों के प्रति अपना गहरा सम्मान भी दोहराती है और राष्ट्र के प्रति उनके अमूल्य योगदान की मान्यता में उनके वंशजों के लिए विशेष कल्याणकारी उपाय करेगी।

8.9. सरकार राज्य भर में विशेष रूप से स्वदेशी, जनजातीय और कमजोर समुदायों के लिए सुरक्षित, पारदर्शी और न्यायसंगत भूमि स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले पांच वर्षों में, भूमि शासन में बड़े सुधारों ने भूमि अधिकारों की रक्षा करने और भूमि सेवाओं तक जनता की पहुंच में सुधार करने की एक मजबूत नींव रखी है।

8.10. 'मिशन वसुंधरा' के तहत 3.56 लाख से अधिक परिवारों को 4.53 लाख बीघा भूमि पर स्वामित्व अधिकार दिए गए हैं। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के आधार पर, अगला चरण गहरे सुधारों, तीव्र सेवा वितरण और प्रौद्योगिकी-संचालित भूमि प्रशासन प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

8.11. मेरी सरकार राजस्व रिकॉर्ड के व्यापक डिजिटलीकरण और एआई-सक्षम व जीआईएस-आधारित प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ उन्नत भूमि मूल्यांकन प्रणालियों का उपयोग करके वैज्ञानिक पुनर्सर्वेक्षण के माध्यम से संपूर्ण भूमि प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने का प्रस्ताव करती है। ये पहल नागरिकों के लिए अधिक पारदर्शिता, सटीकता, दक्षता और पहुंच में आसानी सुनिश्चित करने में मदद करेंगी।

8.12. सरकार जनजातीय और स्वदेशी समुदायों के अधिकारों और हितों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अतिरिक्त 3.2 लाख चाय बागान परिवारों को भूमि अधिकार प्रदान करने के प्रयास जारी रखेगी। सामुदायिक भूमि की सुरक्षा और संरक्षित तथा पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों पर अवैध अतिक्रमण को रोकने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

8.13. सत्र भूमि और वैष्णव सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, जीर्णोद्धार और सुरक्षा के लिए 'सत्र आयोग' के गठन के माध्यम से 'असम सत्र संरक्षण और विकास आयोग अधिनियम, 2025' को भी क्रियान्वित किया जाएगा। मेरी सरकार भावी पीढ़ियों के लिए असम की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संस्थाओं को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

8.14. मेरी सरकार पारदर्शी, योग्यता-आधारित और प्रौद्योगिकी-संचालित भर्ती प्रणालियों के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले पांच वर्षों में 1.65 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं, जिससे उत्तरदायी और नागरिक-केंद्रित शासन की एक मजबूत नींव तैयार हुई है।

8.15. इस उपलब्धि को आगे बढ़ाते हुए, मेरी सरकार अगले पांच वर्षों में दो लाख अतिरिक्त सरकारी नौकरियां प्रदान करने का प्रस्ताव करती है। साथ ही, खनन, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उभरने की उम्मीद है क्योंकि राज्य भर में बड़े निजी क्षेत्र के निवेश धरातल पर उतरने लगे हैं।

8.16. सरकार कौशल विकास, औद्योगिक विकास और निवेश प्रोत्साहन पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि असम के युवा राज्य के व्यापक आर्थिक परिवर्तन में प्रमुख भागीदार बनें।

9. बाढ़-सुरक्षित, कटाव-प्रतिरोधी और जलवायु-सक्षम असम

9.1. सरकार एक बाढ़-सुरक्षित, कटाव-प्रतिरोधी और जलवायु-अनुकूल असम के निर्माण की दिशा में एक परिवर्तनकारी बदलाव की कल्पना करती है। पिछले कुछ वर्षों में, तटबंध सुदृढ़ीकरण, नदी तट संरक्षण, जलग्रहण प्रबंधन तथा आपदा न्यूनीकरण में बड़े निवेश ने पूरे राज्य में दीर्घकालिक जल और जलवायु सुरक्षा के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है।

9.2. इस गति को आगे बढ़ाते हुए, अगले पांच वर्ष ₹18,000 करोड़ से अधिक के निवेश दृष्टिकोण के साथ प्रस्तावित 'बाढ़मुक्त असम मिशन' के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह मिशन आधुनिक तटबंधों, मजबूत तटबंधों, उन्नत स्लुइस प्रणालियों, कटाव नियंत्रण उपायों और जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचे के माध्यम से व्यवस्थित बाढ़ शमन को बढ़ावा देगा, साथ ही प्रमुख नदी प्रणालियों की बहाली और संरक्षण के लिए एक व्यापक 'नदी पुनर्जीवन मिशन' भी चलाएगा।

9.3. सरकार कृषि लचीलेपन में सुधार और संवेदनशील परिदृश्यों की रक्षा के लिए मिट्टी और जल संरक्षण को मजबूत करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई तथा आरआईडीएफ के तहत बड़े पैमाने पर जलग्रहण विकास, वर्षा आधारित क्षेत्र उपचार, पहाड़ी जिलों में झरनों के पुनर्जीवन और टिकाऊ भूमि प्रबंधन

पहलों ने असम भर में किसानों को महत्वपूर्ण रूप से लाभान्वित किया है और जलवायु सहनशीलता में वृद्धि हुई है।

9.4. पर्यावरण के अनुकूल और प्रौद्योगिकी-संचालित संरक्षण उपायों पर भी विशेष जोर दिया जाएगा, जिसमें नदी तट संरक्षण के लिए बांस-आधारित बायो-इंजीनियरिंग समाधान, आपदा शमन परियोजनाओं का विस्तार और अंतर्देशीय जल संपर्क तथा आर्थिक अवसरों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग-2 का वैज्ञानिक विकास शामिल है। इन पहलों से आजीविका की रक्षा करने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और असम के लिए एक जलवायु-अनुकूल भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।

10.किसान कल्याण और ग्रामीण विकास- एजेंडा का केंद्र बिंदु बना हुआ है

10.1. सरकार किसान कल्याण की मजबूती एवं कृषि उत्पादकता बृद्धि पर ज़ोर दे रही है। पिछले पाँच वर्षों में वित्तीय सहायता, कृषि यंत्रीकरण, सिंचाई और बाजार सुविधा में बड़े निवेश से राज्य में कृषि विकास की मजबूत नींव तैयार हुई है।

10.2. आने वाले पाँच वर्षों में सरकार कृषि यंत्रीकरण, जलवायु-अनुकूल खेती तथा कृषि से संबंधित की सुविधाओं को और मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री कृषि सा-सजुली योजना के तहत योग्य किसानों को प्रतिवर्ष 11,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। धान, मक्का और सरसों पर MSP सहायता तथा FPO और FPC को मजबूत करने से ग्रामीण आय में वृद्धि होगी।

10.3. डिजिटल कृषि मिशन, डिजिटल किसान पहचान पत्र और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर असम में आधुनिक कृषि की नींव रखी जा रही है। असम कृषि उन्नयन

अभियान, एग्रोवोल्टाइक खेती, वैज्ञानिक बहुफसली खेती और डिजिटल कृषि उत्कृष्टता केंद्र जैसी पहलें उत्पादकता, बाजार पहुँच को मजबूती प्रदान करेगी।

10.4. सरकार असम की सिंचाई व्यवस्था को जलवायु-अनुकूल और टिकाऊ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। AI, GIS, रिमोट सेंसिंग, LiDAR मैपिंग और SCADA जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग सिंचाई विस्तार और जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए किया जाएगा।

10.5. मत्स्य क्षेत्र में असम ने उल्लेखनीय प्रगति की है और वर्ष 2025–26 में मछली उत्पादन 33% बढ़कर 5.54 लाख मीट्रिक टन हो गया है। सरकार वैज्ञानिक मत्स्य पालन, आर्द्रभूमि के बेहतर उपयोग और मजबूत मत्स्य अवसंरचना के माध्यम से उत्पादन को 10 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।

10.6. हैचरी, कोल्ड चेन, एकीकृत मछली लैंडिंग केंद्र और AI आधारित मछली बाजार जैसी परियोजनाओं को मजबूत किया जा रहा है। सरकार मत्स्य उद्यमिता, महिलाओं की भागीदारी और मत्स्य पर्यटन को बढ़ावा देगी तथा दीर्घकालिक विकास के लिए असम मत्स्य एवं जलीय कृषि नीति 2026–31 लागू करेगी।

10.7. सरकार दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से दूध उत्पादन को 33.5 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 57 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया है। डेयरी, पोल्ट्री, सूअर पालन और बकरी पालन को बढ़ावा देकर ग्रामीण आजीविका को मजबूत किया जाएगा।

10.8. “सहकार से समृद्धि” के दृष्टिकोण के तहत सहकारी क्षेत्र को समावेशी विकास और सामुदायिक आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार बनाया जाएगा। अगले पाँच वर्षों में सहकारी संस्थाओं के आधुनिकीकरण, तकनीकी एकीकरण और विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

10.9. "एक गाँव– एक सहकारी समिति", युवाओं द्वारा संयुक्त सहकारी खेती और PACS के माध्यम से ऋण सहायता जैसी योजनाओं का विस्तार किया जाएगा। डेयरी, मत्स्य और कृषि सहकारी समितियों को गाँव स्तर की सुविधाओं, कोल्ड स्टोरेज, AI आधारित पशुपालन सहायता और PACS को कृषि सेवा केंद्रों में बदलकर मजबूत किया जाएगा।

10.10. महिला-नेतृत्व वाली सहकारी समितियों, शहरी सहकारी बैंकिंग तथा ईको-टूरिज्म, परिवहन और होमस्टे आधारित सहकारी समितियों को बढ़ावा देकर राज्य में आत्मनिर्भर और समावेशी सहकारी व्यवस्था विकसित की जाएगी।

11. पंचायत, ग्रामीण परिवर्तन एवं महिला-नेतृत्व विकास

11.1. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मजबूत स्थानीय शासन, सतत आजीविका, महिला सशक्तिकरण तथा तकनीक आधारित जनसेवाओं के माध्यम से समृद्ध, समावेशी, सशक्त और आत्मनिर्भर ग्रामीण असम के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण आवास, रोजगार सृजन, डिजिटल शासन और सामुदायिक विकास से जुड़ी प्रमुख पहलों ने राज्य में समग्र ग्रामीण परिवर्तन की मजबूत नींव तैयार की है।

11.2. इस प्रगति को आगे बढ़ाते हुए, अगले पाँच वर्षों में ग्रामीण असम में जीवन स्तर और आर्थिक अवसरों को बेहतर बनाने हेतु पंचवर्षीय कार्ययोजना और ASRLM विज़न 2031 के तेज क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत 7.2 लाख से अधिक ग्रामीण आवासों का निर्माण, पेयजल, स्वच्छता, LPG, बिजली और सौर ऊर्जा सुविधाओं के साथ, प्रमुख प्राथमिकता बना रहेगा। संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए चाय बागान क्षेत्रों, चार-चापोरी इलाकों, दूरस्थ गांवों और कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

11.3. सरकार समन्वित विकास मॉडल और रोजगार सृजन कार्यक्रमों के माध्यम से सतत आजीविका और ग्रामीण अवसंरचना को भी मजबूत कर रही है। आगामी “विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (VB-G RAM G)” ग्रामीण आजीविका, स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण और आर्थिक अवसरों को और सशक्त करेगा। मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन, सूअर पालन, बागवानी, बांस, शहद उत्पादन और कृषि आधारित उद्योगों जैसी एकीकृत आजीविका गतिविधियों के साथ-साथ अमृत सरोवरों और जलवायु-अनुकूल सामुदायिक परिसंपत्तियों के विकास से ग्रामीण आय और पर्यावरणीय स्थिरता में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है।

11.4. डिजिटल ग्राम पंचायतों, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग और महिला-नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। ई-गवर्नेंस प्रणालियों का विस्तार, AI आधारित निगरानी, ऑनलाइन नागरिक सेवाएं और डिजिटलीकृत सामाजिक सुरक्षा सेवाएं जमीनी स्तर पर कार्यकुशलता और जवाबदेही को बढ़ाएंगी। साथ ही, असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विज़न 2031 के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह आधारित उद्यम, असमी ग्रामीण मार्ट, वित्तीय समावेशन और “लखपति बाइदेउ” जैसी पहलें महिलाओं के सशक्तिकरण और ग्रामीण उद्यमिता को और मजबूत करेंगी।

12. स्वस्थ असम, शिक्षित असम: भविष्य के लिए मानव संसाधन निर्माण

12.1. सरकार स्वस्थ, कुशल और भविष्य के लिए तैयार असम के निर्माण हेतु स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य अवसंरचना, चिकित्सा संस्थानों, विद्यालयों और डिजिटल शिक्षा में निरंतर निवेश से राज्य में मानव संसाधन विकास की मजबूत नींव तैयार हुई है।

12.2. स्वास्थ्य संकेतकों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। असम में मातृ मृत्यु दर 195 से घटकर 110 और शिशु मृत्यु दर 36 से घटकर 30 हो गई है। इस प्रगति को आगे बढ़ाते हुए, अगले पाँच वर्षों में संस्थागत प्रसव को सार्वभौमिक बनाने, मातृ एवं शिशु

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, सार्वभौमिक टीकाकरण तथा "असम शिशु सुरक्षा अभियान" जैसी पहलों के माध्यम से कमजोर क्षेत्रों में लक्षित हस्तक्षेप पर ध्यान दिया जाएगा। निःशुल्क HPV टीकाकरण, चाय बागान अस्पतालों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में सुदृढ़ करने तथा योग एवं महिला-नेतृत्व वाले स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों जैसे निवारक स्वास्थ्य उपायों पर भी विशेष जोर दिया जाएगा।

12.3. सरकार राज्यभर में चिकित्सा शिक्षा और उन्नत स्वास्थ्य अवसंरचना के बड़े विस्तार पर भी कार्य कर रही है। असम में मेडिकल कॉलेजों की संख्या सात से बढ़ाकर चौदह कर दी गई है, जबकि कई जिलों में नए संस्थान और सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल विकसित किए जा रहे हैं। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के पुनर्विकास, प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज की स्थापना और विशेष स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से अगले पाँच वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और मजबूत होगी।

12.4. नवाचार-आधारित स्वास्थ्य सेवाओं और तकनीक-सक्षम चिकित्सा प्रणालियों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भारत के पहले हब-एंड-स्पोक कैंसर केयर मॉडल, प्रस्तावित सरकारी प्रोटॉन थेरेपी सेंटर, AI आधारित निदान प्रणाली और स्वदेशी चिकित्सा तकनीकों जैसी पहलें असम को स्वास्थ्य नवाचार और उन्नत चिकित्सा अनुसंधान के उभरते केंद्र के रूप में स्थापित कर रही हैं।

12.5. सरकार आधुनिक अवसंरचना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और भविष्य उन्मुख कौशल के माध्यम से विद्यालयी एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। डिजिटल शिक्षा और शैक्षिक अवसंरचना में हालिया सुधारों को आगे बढ़ाते हुए, अगले चरण में मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल योजना के अंतर्गत 1,000 माध्यमिक विद्यालयों के उन्नयन तथा STEM शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए एक एजुकेशन सिटी के विकास पर फोकस किया जाएगा।

12.6. विद्यार्थियों को भविष्य के अवसरों और करियर के लिए तैयार करने हेतु कौशल-आधारित शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता, आलोचनात्मक चिंतन

और छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार पर अधिक जोर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप STEM संस्थानों, शोध पारिस्थितिकी तंत्र, उद्योग-अकादमिक सहयोग और वैश्विक स्तर के शैक्षणिक कार्यक्रमों को मजबूत किया जाएगा।

12.7. कौशल-उन्मुख पाठ्यक्रम, विदेशी भाषाओं का समावेश, रोजगार-आधारित कार्यक्रम और अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक साझेदारियाँ असम की शिक्षा व्यवस्था को और सशक्त बनाएंगी। राज्य के युवाओं को तेजी से बदलती और आपस में जुड़ी दुनिया में नेतृत्व के लिए तैयार करेंगी।

13. माताओं, बच्चों एवं पोषण सुरक्षा का संवर्धन

13.1. मेरी सरकार बेहतर पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के माध्यम से महिला एवं बाल कल्याण को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले कुछ वर्षों में आंगनवाड़ी सेवाओं, मातृ स्वास्थ्य, पोषण सहायता जैसे विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं राज्य में समावेशी विकाश में मजबूती प्रदान की है।

13.2. आने वाले पाँच वर्षों में मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का विस्तार किया जाएगा और 20,000 केंद्रों में पोषण वाटिकाएँ बनाई जाएंगी, ताकि बच्चों की देखभाल, शुरुआती शिक्षा और पोषण व्यवस्था बेहतर हो सके। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। साथ ही, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए “संजीवनी पुष्टि किट” जैसी योजनाओं के माध्यम से माँ और बच्चे के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

13.3. मेरी सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा और सहायता उपलब्ध कराती रहेगी। “अन्न सेवा दिन” और “वन नेशन वन राशन कार्ड” जैसी

तकनीक आधारित व्यवस्थाओं से राशन वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी, सुविधाजनक और प्रभावी बनेगी।

13.4. महिलाओं के कल्याण, स्वच्छ ऊर्जा और बेहतर पोषण व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कार्यरत महिला छात्रावासों का संचालन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अधिक परिवारों तक LPG सुविधा पहुँचाना तथा MSP आधारित खरीद व्यवस्था को मजबूत करने से परिवारों का जीवन स्तर, किसानों की आय और पोषण सुरक्षा में सुधार होगा।

14. पेयजल, स्वच्छता, वन एवं सतत विकास

14.1. सरकार असम में सभी लोगों को सुरक्षित पेयजल, बेहतर स्वच्छता और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जल जीवन मिशन के तहत अब तक 59 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को घर-घर नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जिससे ग्रामीण असम के लगभग 82% क्षेत्रों को लाभ मिला है।

14.2. अगले पाँच वर्षों में वर्ष 2028 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और हरित अवसंरचना को भी मजबूत किया जाएगा। निर्माण अपशिष्ट प्रबंधन, बायोगैस और सर्कुलर इकोनॉमी जैसी नई नीतियों के माध्यम से स्वच्छ और प्रदूषण-मुक्त असम का निर्माण किया जाएगा।

14.3. सरकार वनों, वन्यजीवों और जैव विविधता के संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वन अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। साथ ही, नई असम वन नीति और “अरण्य मिशन” के माध्यम से वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण और वन संरक्षण को और मजबूत किया जाएगा।

14.4. अवैध शिकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। “गज मित्र योजना” और आधुनिक तकनीक की मदद से मानव-हाथी संघर्ष को कम करने तथा पात्र लोगों को

वन अधिकार अधिनियम का लाभ देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही, बांस, अगर, बेंत, वन उत्पाद और रेशम आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देकर हरित रोजगार, ईको-उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।

14.5. प्रकृति आधारित पर्यटन, वन्यजीव शिक्षा और संरक्षण जागरूकता कार्यक्रमों का भी विस्तार किया जाएगा, ताकि असम को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के अग्रणी मॉडल के रूप में स्थापित किया जा सके।

15. सड़क, पुल एवं ऊर्जा अवसंरचना का विकास

15.1. मेरी सरकार बेहतर संपर्क व्यवस्था, तेज आर्थिक विकास और लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए सड़कों, पुलों और सार्वजनिक अवसंरचना को मजबूत करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। पिछले कुछ वर्षों में राजमार्गों, पुलों और शहरी परिवहन में बड़े निवेश से असम के विकास की मजबूत नींव तैयार हुई है।

15.2. इसी गति को आगे बढ़ाते हुए, अगले पांच वर्षों में पूरे राज्य में रणनीतिक कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) का व्यापक विस्तार देखने को मिलेगा। गुवाहाटी-उत्तर गुवाहाटी पुल जैसी ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं ने असम में आवागमन की तस्वीर को पहले ही बदल दिया है, जबकि धुबरी-फुलबारी पुल, पलाशबारी-सुआलकुची पुल, गुवाहाटी रिंग रोड, काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर, जोरहाट-माजुली पुल, गोहपुर-नुमलीगढ़ अंडरवाटर रेल-कम-रोड टनल (जलमग्न रेल एवं सड़क सुरंग) और सिलचर हाई-स्पीड कॉरिडोर सहित चल रही प्रमुख पहलें क्षेत्रीय और राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए तैयार हैं।

15.3. PMGSY-IV, असम रेजिलिएंट रूरल ब्रिज प्रोग्राम और “असम माला” योजना के माध्यम से ग्रामीण संपर्क को और बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही, सड़क सुधार योजनाओं, फ्लाईओवर और रेलवे ओवरब्रिजों के निर्माण से यातायात जाम कम होगा और परिवहन व्यवस्था में सुधार आएगा।

15.4. सरकार खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासनिक अवसंरचना का भी बड़े स्तर पर विस्तार कर रही है। खेल परिसरों के विकास, मेडिकल कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों और मॉडल आवासीय विद्यालयों के निर्माण से जनसेवाओं और मानव संसाधन विकास को मजबूती मिलेगी।

15.5. सरकार असम को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और ऊर्जा अधिशेष राज्य बनाने के लिए बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और नवीकरणीय ऊर्जा में बड़े निवेश कर रही है। तापीय, जलविद्युत और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से आने वाले वर्षों में बढ़ती बिजली जरूरतों को पूरा किया जाएगा।

15.6. चापर में प्रस्तावित 3,200 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना, लोअर कोपिली जलविद्युत परियोजना, कार्बी लांगपी मिडिल-II जलविद्युत परियोजना तथा अनेक सौर ऊर्जा परियोजनाओं सहित प्रमुख ऊर्जा अवसंरचना पहलों से असम की विद्युत उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने और राज्य की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने की अपेक्षा है। साथ ही, प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर विस्तार आने वाले वर्षों में स्वच्छ, किफायती और सतत ऊर्जा की दिशा में असम के संक्रमण को और तेज करेगा।

16. उद्यम, नवाचार एवं निवेश: असम की विकास गाथा में गति

16.1. स्टार्टअप, उद्यमिता, MSME, कौशल विकास और बड़े निवेश असम की अर्थव्यवस्था को नई गति देंगे। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान, MSME प्रोत्साहन नीति और "एडवांटेज असम 2.0" जैसी पहलों ने उद्योगों के विकास और रोजगार सृजन की मजबूत नींव रखी है।

16.2. अगले पाँच वर्षों में नवाचार, स्टार्टअप, विनिर्माण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। "मुख्यमंत्री अक्षय योजना", इनोवेशन सेल और असम

स्टार्टअप समिट जैसी पहलें स्टार्टअप व्यवस्था को मजबूत करेंगी। हरित तकनीक, बायोप्लास्टिक और भविष्य उन्मुख उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

16.3. सरकार उद्योगों की जरूरत के अनुसार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर भविष्य के लिए तैयार कार्यबल तैयार कर रही है। असम स्किल यूनिवर्सिटी, स्किल डेवलपमेंट मिशन और आधुनिक ITI इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

16.4. आने वाले समय में व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और वैश्विक रोजगार अवसरों पर अधिक जोर दिया जाएगा। स्किल जनगणना, स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा, मैरीटाइम स्किल सेंटर और सामुदायिक कौशल केंद्र युवाओं को रोजगार के लिए बेहतर तैयार करेंगे। CM FLIGHT और GARUDA जैसी योजनाओं का भी विस्तार किया जाएगा।

16.5. उद्यमिता और स्वरोजगार को असम की विकास नीति का मुख्य आधार बनाया जाएगा। आत्मनिर्भर असम अभियान, जीवन प्रेरणा योजना, निजुत सिपिनी और "लखपति बाईदेऊ" जैसी योजनाएं युवाओं, महिलाओं और कारीगरों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेंगी।

16.6. सरकार औद्योगिक शहरों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ), लॉजिस्टिक्स हब और भूमि बैंक विकसित कर बड़े निवेश आकर्षित करने पर जोर दे रही है। टाटा सेमीकंडक्टर परियोजना, नमरूप अमोनिया-यूरिया परियोजना और नुमालीगढ़ रिफाइनरी विस्तार जैसी परियोजनाएं असम के औद्योगिक विकास को नई दिशा देंगी।

16.7. चाय, बांस, जूट, हस्तशिल्प और अन्य पारंपरिक उद्योगों को आधुनिक तकनीक, ब्रांडिंग और बाजार से जोड़कर मजबूत किया जाएगा। साथ ही, एथेनॉल, पेट्रोकेमिकल, रक्षा विनिर्माण और कृषि आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

16.8. “एक्ट ईस्ट नीति” के तहत असम को पूर्वोत्तर भारत के विकास केंद्र और दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित किया जाएगा। व्यापार, लॉजिस्टिक्स और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया जाएगा।

16.9. सरकार विज्ञान, तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देकर सतत विकास सुनिश्चित करेगी। असम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सिस्टम और गुवाहाटी बायोटेक पार्क जैसी पहलें वैज्ञानिक अनुसंधान, स्टार्टअप और तकनीक आधारित विकास को मजबूती देंगी।

17. नागरिक-केंद्रित शहरी परिवेश का निर्माण

17.1. मेरी सरकार बेहतर अवसंरचना, स्वच्छता, आवास और डिजिटल शासन के माध्यम से असम में टिकाऊ, सशक्त और नागरिक-केंद्रित शहरी व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

17.2. नवीकरणीय ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइटों की स्थापना, पुराने कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन, फीकल स्लज ट्रीटमेंट सुविधाओं के विस्तार तथा डिजिटल नागरिक सेवाओं को मजबूत करने के माध्यम से शहरी परिवर्तन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

17.3. अमरुत (AMRUT) 2.0 के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जलापूर्ति परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। वहीं, PMAY-U, पीएम स्वनिधि तथा शहरी महिला उद्यमियों को सहायता जैसी पहलों ने आवास सुरक्षा, आजीविका और वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ किया है।

17.4. ब्रह्मपुत्र रिवरफ्रंट विकास, इंटेलिजेंट सर्विलांस सिस्टम और स्वच्छ परिवहन पहल जैसी प्रमुख शहरी अवसंरचना परियोजनाओं ने शहरी विकास को और मजबूत किया है।

17.5. मेरी सरकार GIS आधारित मास्टर प्लानिंग, जल निकायों के पुनर्जीवन, बाढ़ नियंत्रण उपायों, सीवरेज एवं पेयजल नेटवर्क के विस्तार तथा शहरी प्रशासन प्रणालियों के आधुनिकीकरण के माध्यम से भविष्य उन्मुख शहरी असम के निर्माण की दिशा में कार्य जारी रखेगी।

17.6. टिकाऊ शहरी विकास, शहरी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, किफायती आवास और सुदृढ़ अवसंरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही, गुवाहाटी मास्टर प्लान 2045, सैटेलाइट टाउनशिप, स्मार्ट सिटी पहल और व्यापक शहरी सेवा वितरण जैसी दीर्घकालिक योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए सभी नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार किया जाएगा।

18. हरित परिवहन, जलमार्ग एवं एकीकृत परिवहन अवसंरचना

18.1. सरकार असम में आधुनिक, समावेशी और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले कुछ वर्षों में सड़कों, पुलों, शहरी परिवहन और संपर्क अवसंरचना में बड़े निवेश ने राज्य की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बदलने की मजबूत नींव रखी है।

18.2. अगले पाँच वर्षों में स्वच्छ, आधुनिक और तकनीक आधारित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा। पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत 3,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जिससे पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी। बस टर्मिनलों के आधुनिकीकरण और “वन डिस्ट्रिक्ट, वन बस पोर्ट” योजना के माध्यम से यात्रियों को बेहतर सुविधा और सुगम यात्रा उपलब्ध कराई जाएगी। महिलाओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं वाली विशेष “पिंक बसें” भी शुरू की जाएंगी।

18.3. असम की नदी प्रणालियों के रणनीतिक और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, सरकार अंतर्देशीय जल परिवहन और नदी आधारित अवसंरचना को और मजबूत

करेगी। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और तेजपुर के लिए प्रस्तावित वाटर मेट्रो प्रणाली पर्यावरण-अनुकूल और एकीकृत परिवहन समाधान के माध्यम से शहरी परिवहन में बड़ा बदलाव लाएगी।

18.4. पांडु, जोगीघोपा और बोगीबील में एकीकृत नदी लॉजिस्टिक्स हब, आधुनिक क्रूज टर्मिनल और विस्तारित नदी पर्यटन अवसंरचना ब्रह्मपुत्र और बराक नदी प्रणालियों की आर्थिक एवं पर्यटन क्षमता को और बढ़ाएंगे। साथ ही, राज्य के जलमार्गों में सुरक्षित, विश्वसनीय और सुव्यवस्थित फेरी सेवाएं सुनिश्चित करने के प्रयास लगातार जारी रहेंगे।

19. हथकरघा, वस्त्र एवं रेशम उद्योग

19.1. हथकरघा, वस्त्र और रेशम उद्योग असम की संस्कृति और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये राज्य की परंपरा और पहचान से गहराई से जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में पारंपरिक बुनकरों और कारीगरों को सहयोग देने, उत्पादन प्रणाली को आधुनिक बनाने तथा उनकी आजीविका मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं।

19.2. आने वाले पाँच वर्षों में असम को हथकरघा और रेशम उत्पादों का प्रमुख केंद्र बनाने पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से बेहतर जुड़ाव हो सके। “असम सिल्क मिशन” और “निजुत सिपिनी” जैसी योजनाओं के माध्यम से पारंपरिक बुनकरों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही, हथकरघा मॉडल गांवों और हस्तशिल्प केंद्रों का विकास किया जाएगा। ब्रांडिंग, ई-मार्केट प्लेटफॉर्म, व्यापार मेलों तथा काजीरंगा और सुआलकुची की प्रमुख परियोजनाओं के जरिए असम के हथकरघा और रेशम उद्योग को वैश्विक पहचान दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

20. असम समझौता एवं असमिया पहचान की सुरक्षा

माननीय सदस्यगण,

20.1. यहाँ मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरी सरकार ऐतिहासिक असम आंदोलन की भावना को अक्षुण्ण रखने तथा असम समझौते (असम अकॉर्ड) के केंद्रित कार्यान्वयन के माध्यम से असम के लोगों की पहचान, गरिमा और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के अपने संकल्प पर अडिग है। पिछले कुछ वर्षों में, धारा 6 की सिफारिशों को लागू करने, आंदोलन के दौरान प्रभावित हुए परिवारों का कल्याण सुनिश्चित करने और असम आंदोलन के शहीदों की विरासत तथा उनके बलिदानों को संजोकर रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

20.2. अगले पाँच वर्षों में असम समझौते के प्रमुख प्रावधानों को तेजी से लागू करने तथा असम की भाषा, संस्कृति और स्वदेशी पहचान की रक्षा के लिए और प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। सरकार धारा 6 संबंधी उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों को लागू करने और असमिया लोगों के अधिकारों एवं विरासत की सुरक्षा के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं को और मजबूत करेगी।

20.3. असम आंदोलन के शहीदों के सम्मान में विकसित शहीद स्मारक क्षेत्र एवं पार्क को आधुनिक संग्रहालय सुविधाओं, लेज़र लाइट एवं साउंड शो, सभागार अवसंरचना तथा असम की समृद्ध विरासत और जैव विविधता को प्रतिबिंबित करने वाले सुविचारित परिदृश्यों के माध्यम से ऐतिहासिक स्मरण, जन-जागरूकता और सांस्कृतिक गौरव के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। असम आंदोलन से प्रभावित परिवारों के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु समर्पित पहलों पर भी निरंतर विशेष ध्यान दिया जाता रहेगा।

21. संस्कृति, विरासत, खेल और पर्यटन: विश्व पटल पर असम की पहचान को स्थापित करना

21.1. असम की स्वदेशी परंपराएं, जनजातीय विरासत, आध्यात्मिक संस्थान, साहित्य, कला और खेल संस्कृति राज्य की सबसे बड़ी ताकतों में से हैं। पिछले पांच वर्षों में, बुनियादी ढांचे के विकास, विरासत संरक्षण, सांस्कृतिक संवर्धन और जमीनी स्तर पर प्रतिभा विकास के माध्यम से इन क्षेत्रों को संरक्षित, बढ़ावा देने और आधुनिक बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं।

21.2. इस नींव पर आगे बढ़ते हुए, अगले पांच वर्ष असम को अपनी अनूठी सभ्यतागत पहचान को बनाए रखते हुए देश के एक प्रमुख सांस्कृतिक, पर्यटन और खेल केंद्र के रूप में स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। विरासत स्थलों, संग्रहालयों और पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के साथ-साथ पांडुलिपियों, अभिलेखीय रिकॉर्ड और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों के दस्तावेज़ीकरण और डिजिटलीकरण के प्रयास जारी रहेंगे। शिवसागर और कार्बी आंगलोंग तथा दीमा हसाओ के मेगालिथिक परिदृश्यों सहित असम के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के लिए वैश्विक मान्यता सुरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा।

21.3. सरकार समर्पित संरक्षण और संवर्धन पहलों के माध्यम से स्वदेशी और जनजातीय आस्थाओं, परंपराओं और सांस्कृतिक संस्थानों को मजबूत करना भी जारी रखेगी। त्योहारों, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, संग्रहालयों और विरासत परियोजनाओं का विस्तार किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि असम की विविध सांस्कृतिक पहचान भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित और उत्सव के रूप में मनाई जाए।

21.4. खेल के क्षेत्र में, पिछले कुछ वर्षों में स्टेडियमों, प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और खेल आयोजनों में बड़े निवेश ने प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक मजबूत मंच तैयार किया है। इस प्रगति को आगे बढ़ाते हुए, एक व्यापक खेल नीति ब्लॉक स्तर पर स्टेडियमों के विस्तार, जिला खेल अकादमियों की स्थापना, खेल छात्रवृत्ति और राज्य भर में एक जीवंत खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से 'खेल

महारण' के आयोजन के माध्यम से खेल विकास के अगले चरण का मार्गदर्शन करेगी।

21.5. पर्यटन आर्थिक विकास, रोजगार और सांस्कृतिक पहुंच का एक प्रमुख चालक बना रहेगा। धार्मिक, पर्यावरण (इको) और सांस्कृतिक पर्यटन में हालिया प्रगति को आगे बढ़ाते हुए, अगले पांच वर्षों में बौद्ध सर्किट को मजबूत करने, 'अमर अलोही' ग्रामीण होमस्टे पहल का विस्तार करने और असम को आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आयोजन-आधारित पर्यटन के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कॉन्सर्ट पर्यटन, हेरिटेज सर्किट और समुदाय-आधारित पर्यटन पहल से आजीविका को और मजबूती मिलेगी तथा राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर असम की दृश्यता बढ़ेगी।

21.6. सरकार असम के सांस्कृतिक उद्योगों, सिनेमा, संगीत, साहित्य और रचनात्मक कलाओं को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी। प्रस्तावित 'असम ओइतिज्य सोंगराहालय', अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सवों, असमिया सिनेमा के प्रचार, डिजिटल सांस्कृतिक मंचों और कलाकार कल्याण प्रणालियों को मजबूत करने जैसी पहल असम की कलात्मक और सांस्कृतिक उत्कृष्टता को व्यापक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाने में मदद करेगी।

22. बराक घाटी विकास: बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी पर नए सिरे से ध्यान

22.1. दशकों तक बराक घाटी ने अपनी अपार सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक महत्ता के बावजूद उपेक्षा और अपर्याप्त विकासात्मक ध्यान की व्यापक भावना को अनुभव किया। इस दीर्घकालिक चिंता का समाधान करते हुए, वर्तमान सरकार ने क्षेत्र के संतुलित और तीव्र विकास हेतु केंद्रित तथा क्षेत्र-विशिष्ट पहलों के माध्यम से अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित किया है। दिसंबर 2024 में बराक घाटी विकास विभाग की स्थापना, कछार, हैलाकांदी और श्रीभूमि जिलों के समग्र विकास

की दिशा में एक महत्वपूर्ण संस्थागत कदम सिद्ध हुई है। इस प्रयास को और सुदृढ़ करते हुए, सिलचर में बराक घाटी सचिवालय की स्थापना ने अधिक उत्तरदायी शासन, बेहतर प्रशासनिक समन्वय, केंद्रित नीति-निर्माण तथा क्षेत्रभर में विकासात्मक पहलों के तीव्र क्रियान्वयन की मजबूत नींव रखी है।

22.2. इस पहल को आगे बढ़ाते हुए, अगले पांच वर्ष पूरी बराक घाटी में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और सार्वजनिक सेवा वितरण को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बराक घाटी को राज्य के विकास केंद्रों के साथ और अधिक एकीकृत करने के लिए गुवाहाटी और सिलचर के बीच सड़क, रेल और हाई-स्पीड कॉरिडोर कनेक्टिविटी में सुधार के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासनिक बुनियादी ढांचे के अंतराल को पाटने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

22.3. मेरी सरकार का लक्ष्य सिलचर में एक पूर्ण असम सचिवालय की उपस्थिति को क्रियाशील करना, श्रीभूमि में एम्स (AIIMS) का एक सैटेलाइट केंद्र स्थापित करना और डोलू में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास में तेजी लाना भी है। इन पहलों से कनेक्टिविटी, निवेश, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और आर्थिक अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे बराक घाटी का समावेशी और निरंतर विकास सुनिश्चित होगा।

23. सामाजिक न्याय, पिछड़ा वर्ग और समावेशी सशक्तिकरण

माननीय सदस्यगण,

23.1. सरकार असम में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदायों के सामाजिक न्याय, न्यायसंगत प्रतिनिधित्व और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले कुछ वर्षों में, असम पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से विभिन्न

समुदायों की लंबे समय से लंबित आकांक्षाओं को पूरा करने और संस्थागत तंत्र को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं।

23.2. इस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, अगले पांच वर्ष ओबीसी और एमओबीसी श्रेणियों के तहत पात्र समुदायों की मान्यता, समावेशन और कल्याण से संबंधित प्रक्रियाओं में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। असम पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय ओबीसी सूची में कई समुदायों को शामिल करने और चाय तथा पूर्व-चाय बागान समुदायों को एमओबीसी का दर्जा देने की पहलों के माध्यम से पहले ही महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की जा चुकी है।

23.3. सरकार पिछड़े वर्गों की श्रेणियों के तहत शामिल होने की मांग करने वाले विभिन्न समुदायों के लंबित दावों की समय पर जांच और निपटान की दिशा में काम करना जारी रखेगी, साथ ही समाज के पिछड़े और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों, कल्याणकारी उपायों, कौशल विकास और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण तक अधिक पहुंच सुनिश्चित करेगी।

24. पहाड़ियों, मैदानों और विशेष समुदायों का समावेशी विकास

24.1.मेरी सरकार असम के सभी भौगोलिक क्षेत्रों और समुदायों में संतुलित, समावेशी एवं क्षेत्र-विशिष्ट विकास सुनिश्चित करने के प्रति निरंतर सजग और प्रतिबद्ध रहेगी। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय बेल्टों, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र तथा अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में केंद्रित हस्तक्षेपों के माध्यम से समावेशी और न्यायसंगत विकास के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। सशक्त स्वायत्त परिषदों, विशेष विकास कार्यक्रमों तथा लक्षित कल्याणकारी पहलों के माध्यम से इन ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित क्षेत्रों में अवसंरचना सुधार, आजीविका के अवसरों के विस्तार, शिक्षा तक बेहतर पहुंच तथा अधिक प्रभावी और उत्तरदायी प्रशासनिक सेवाओं की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की गई है।

24.2. पहाड़ी क्षेत्रों का विकास

हालिया प्रगति को आगे बढ़ाते हुए, अगले पांच वर्ष मजबूत बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आजीविका पहलों के माध्यम से कार्बी आंगलोंग

और दीमा हसाओ के त्वरित विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सतत आर्थिक विकास और जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए स्वदेशी आस्थाओं, भाषाओं, सांस्कृतिक परंपराओं और सामुदायिक संस्थानों के संरक्षण पर विशेष जोर दिया जाना जारी रहेगा।

24.3. बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (BTR) का कल्याण

बोडो समझौता, 2020 का कार्यान्वयन पूरी ईमानदारी और भावना के साथ जारी रहेगा, जिसमें बोडोलैंड क्षेत्रीय क्षेत्र में स्वायत्तता, शासन के बुनियादी ढांचे और सामाजिक-आर्थिक विकास को मजबूत करने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। सड़कों, पुलों और प्रशासनिक बुनियादी ढांचे के विस्तार, जिसमें उदलगुरी में बीटीसी (BTC) मिनी सचिवालय का संचालन शामिल है, से शासन तक पहुंच, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय समृद्धि में और सुधार होगा।

24.4. चाय जनजातियों और आदिवासी समुदायों का कल्याण

सरकार शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवा, संस्कृति और आजीविका में केंद्रित हस्तक्षेपों के माध्यम से चाय जनजातियों और आदिवासी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी। छात्रवृत्तियां, सामुदायिक बुनियादी ढांचा, महिला-केंद्रित कल्याणकारी पहल और चाय जनजाति की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण आने वाले वर्षों में विशेष प्राथमिकता दी जाती रहेगी।

24.5. मैदानी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

मैदानी इलाकों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए शैक्षिक अवसरों के विस्तार, आजीविका सृजन, वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन और स्वायत्त परिषदों तथा विकास परिषदों को मजबूत करने के माध्यम से केंद्रित प्रयास जारी रहेंगे। समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करते हुए जनजातीय विरासत, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों और स्वदेशी प्रथाओं को संरक्षित करने पर अधिक जोर दिया जाएगा।

24.6. अल्पसंख्यक समुदायों का कल्याण और विकास

सरकार पारदर्शी और प्रौद्योगिकी संचालित शासन के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों के समावेशी विकास के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध है। कौशल विकास, छात्रवृत्ति, आजीविका सहायता, वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और बेहतर तीर्थयात्री सुविधाओं को मजबूत करना जारी रखा जाएगा, जिसमें राज्य भर के गोरिया, मोरिया, देशी, जोल्हा और मैमल समुदायों सहित स्वदेशी अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

25. आधुनिक न्यायपालिका और सुलभ न्याय वितरण

25.1. मेरी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि एक मजबूत और स्वतंत्र न्यायपालिका एक जीवंत लोकतंत्र की आधारशिला है, तथा सुशासन के लिए समय पर और सुलभ न्याय का मिलना अत्यंत आवश्यक है। माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में, पिछले कुछ वर्षों में पूरे असम में न्यायिक बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी-सक्षम न्याय वितरण प्रणालियों के विस्तार में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। सरकार ने कई जिलों में न्यायालय परिसरों और आवासीय सुविधाओं के उद्घाटन तथा तीव्र निर्माण के माध्यम से न्याय वितरण ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रमुख पहलें की हैं। कई स्थानों पर नए जिला न्यायिक न्यायालय भवनों, उप-मंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों की स्थापना की गई है, जबकि न्यायिक अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की दिशा में निरंतर किए जा रहे प्रयास राज्य भर में न्यायिक प्रणाली की दक्षता, सुलभता और समग्र क्षमता को और बढ़ा रहे हैं।

25.2. इस आधार को आगे बढ़ाते हुए, अगले पांच वर्षों का ध्यान एक आधुनिक, नागरिक-केंद्रित और प्रौद्योगिकी-संचालित न्यायिक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर केंद्रित रहेगा। उत्तरी गुवाहाटी के रंगमहल में अपनी तरह का पहला 'जुडिशियल टाउनशिप', नए न्यायालय भवनों, आवासीय परिसरों, संवेदनशील गवाहों के लिए विशेष सुविधाओं, कानूनी सहायता केंद्रों और एनडीपीएस कोर्ट सहित विशिष्ट न्यायालयों के साथ, राज्य भर में न्यायिक बुनियादी ढांचे को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करेगा और न्याय तक पहुंच में सुधार लाएगा। रंगमहल में एकीकृत न्यायिक न्यायालय परिसर (इंटीग्रेटेड जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स) यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है कि माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय न केवल अपनी वर्तमान आवश्यकताओं बल्कि भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए भी पूरी तरह से सुसज्जित हो।

25.3. मेरी सरकार न्याय वितरण को तीव्र, पारदर्शी और अधिक सुलभ बनाने के लिए ई-कोर्ट, वर्चुअल सुनवाई, ई-फाइलिंग, ऑनलाइन सेवाओं और एआई (AI)-सक्षम न्यायिक प्रणालियों का विस्तार करना जारी रखेगी। अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग, डिजिटल केस ट्रैकिंग, निर्णयों का असमिया में एआई-सहायता प्राप्त अनुवाद और उन्नत डिजिटल प्लेटफार्मों के एकीकरण जैसी पहलों से आने वाले वर्षों में असम प्रौद्योगिकी-सक्षम न्यायिक प्रशासन में अग्रणी राज्यों में से एक के रूप में परिवर्तित होने की उम्मीद है।

26. सूचना, जनसंपर्क और मीडिया कल्याण

26.1. सरकार नागरिक पहुंच, जागरूकता सृजन और शासन में जनता की भागीदारी को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित संचार प्रणालियों का तेजी से लाभ उठा रही है। वर्ष 2025-26 के दौरान, प्रमुख प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों के सहयोग से सरकार की प्रमुख (फ्लैगशिप) योजनाओं को बढ़ावा देने और नागरिक जुड़ाव में सुधार करने के लिए अग्रणी डिजिटल जनसंपर्क अभियान शुरू किए गए थे।

26.2. इस पहल को आगे बढ़ाते हुए, अगले पांच वर्ष उन्नत प्रौद्योगिकी-सक्षम प्रणालियों के माध्यम से डिजिटल शासन संचार, नीति आउटरीच और नागरिक सुविधा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पारदर्शिता, दक्षता और सार्वजनिक जानकारी के वास्तविक समय में प्रसार को बढ़ाने के लिए डिजिटल संग्रह, ऑनलाइन मान्यता सेवाएं, विज्ञापन पोर्टल और एआई-आधारित संचार प्रणालियां शुरू की जाएंगी।

26.3. मेरी सरकार पत्रकारों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देना जारी रखेगी। लोकतांत्रिक समाज में मीडिया द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए पत्रकार चिकित्सा कल्याण योजना के तहत वित्तीय सहायता और वरिष्ठ पत्रकारों के लिए पेंशन सहायता को मजबूत करना जारी रखा जाएगा।

27. सार्वजनिक सेवाओं का अधिकार और डिजिटल प्रशासन

27.1. मेरी सरकार शासन को मजबूत करने, नागरिक सेवा वितरण में सुधार करने और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में, प्रौद्योगिकी-सक्षम प्लेटफार्मों और नागरिक-केंद्रित सुधारों के माध्यम से डिजिटल गवर्नेंस और सार्वजनिक सेवा वितरण में बड़ी प्रगति हासिल की गई है।

27.2. इस आधार को आगे बढ़ाते हुए, अगले पांच वर्ष 'सेवा सेतु' को अगली पीढ़ी के एआई-सक्षम नागरिक सेवा मंच में बदलने और सरकारी सेवाओं के पारदर्शी, समयबद्ध और जवाबदेह वितरण को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं के अधिकार के ढांचे को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मजबूत राज्य डेटा केंद्र बुनियादी ढांचे के माध्यम से सरकारी अधिकारियों के लिए एआई-संचालित शिकायत निवारण प्रणाली और उन्नत डिजिटल उपकरण भी पेश किए जाएंगे।

27.3. असमिया, बोडो, बंगाली, कार्बी और अन्य स्वदेशी भाषाओं के लिए एआई-सहायता प्राप्त अनुवाद, भाषण प्रौद्योगिकियों और हस्तलिखित लिपि पहचान के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। ये पहल न केवल डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करेंगी बल्कि असम की समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने, बढ़ावा देने और उस तक पहुंच का विस्तार करने में भी मदद करेंगी।

28. मिशन कर्मयोगी और अगली पीढ़ी के शासन सुधार

28.1. मेरी सरकार एक पारदर्शी, कुशल, प्रौद्योगिकी-संचालित और नागरिक-केंद्रित प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किए हुए है, जो तेजी से बदलते असम की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम हो। पिछले कुछ वर्षों में, सरकार ने प्रौद्योगिकी-संचालित और नागरिक-केंद्रित शासन पर विशेष बल देते हुए पेंशन प्रशासन, शिकायत निवारण, डिजिटल गवर्नेंस और सार्वजनिक सेवा वितरण (पब्लिक सर्विस डिलीवरी) में व्यापक सुधार किए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बढ़ते एकीकरण, सरल प्रशासनिक प्रक्रियाओं और कुशल सेवा वितरण प्रणालियों ने राज्य भर में शासन व्यवस्था को काफी मजबूत किया है तथा सुलभता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार किया है।

28.2. 'कृतज्ञता' पोर्टल, 'जीवन प्रमाण', ऑनलाइन आरटीआई प्रणाली और प्रौद्योगिकी-सक्षम शिकायत निगरानी मंचों जैसी पहलों ने नागरिकों के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच की सुगमता को काफी बढ़ाया है। निरंतर डिजिटल गवर्नेंस सुधारों और प्रौद्योगिकी-सक्षम प्रशासनिक प्रणालियों को बड़े पैमाने पर अपनाने के चलते, असम शिकायत निवारण और नागरिक-केंद्रित शासन के क्षेत्रों में देश के अग्रणी राज्यों में से एक बनकर उभरा है।

28.3. इस मजबूत नींव पर आगे बढ़ते हुए, शासन सुधारों का अगला चरण 'विकसित असम 2047' और 'विकसित भारत 2047' के दृष्टिकोण के अनुरूप एक अत्यधिक पेशेवर, भविष्य के लिए तैयार और नागरिक-उत्तरदायी प्रशासनिक तंत्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। असम 'मिशन कर्मयोगी' के कार्यान्वयन में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक के रूप में उभरा है, जिसमें 5 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी आईगॉट (iGOT) प्लेटफॉर्म पर शामिल हुए हैं और सक्रिय भागीदारी तथा पाठ्यक्रम पूरा करने में सर्वोच्च राष्ट्रीय रैंकिंग में शामिल हैं।

28.4. पिछले पांच वर्षों में, 1.64 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां पहले ही प्रदान की जा चुकी हैं, और अगले पांच वर्षों में लगभग 2 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों के सरकारी सेवा में शामिल होने की उम्मीद है। योग्यता-आधारित क्षमता निर्माण, डिजिटल लर्निंग सिस्टम, एआई-सक्षम गवर्नेंस टूल्स और निरंतर प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य एक आधुनिक, कुशल और प्रेरित कार्यबल (वर्कफोर्स) तैयार करना है, जो उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक सेवाएं देने और असम के दीर्घकालिक परिवर्तन को गति देने में सक्षम हो।

29. विकेंद्रीकृत शासन और नागरिक-केंद्रित शासन

माननीय सदस्यगण,

29.1. मेरी सरकार विकेंद्रीकृत, कुशल और नागरिक-केंद्रित शासन के माध्यम से प्रशासन को लोगों के करीब लाने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के पिछले कार्यकाल के दौरान, असम ने सह-जिलों के निर्माण और संचालन

के माध्यम से अपनी तरह का पहला प्रशासनिक सुधार किया, जिससे जमीनी स्तर पर शासन मजबूत हुआ और राज्य भर में सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार हुआ।

29.2. इस परिवर्तनकारी पहल को आगे बढ़ाते हुए, अगले पांच वर्ष असम भर में सह-जिला प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करने तथा विस्तारित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उन क्षेत्रों को छोड़कर जो छठी अनुसूची और बोडोलैंड क्षेत्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जहाँ अलग संवैधानिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं मौजूद हैं। इन संस्थानों को मजबूत बुनियादी ढांचे, जनशक्ति और डिजिटल गवर्नेंस प्रणालियों से सशक्त बनाया जाएगा ताकि नागरिकों के घर तक सरकारी सेवाओं की तेजी से और अधिक सुलभ डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके।

29.3. सरकार की परिकल्पना है कि मजबूत सह-जिला प्रशासन जिला प्रशासनों को मैक्रो-स्तर (व्यापक स्तर) की योजना, विकास और शासन पर अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाएगा, जबकि क्षेत्र स्तर पर स्थानीय मुद्दों का त्वरित समाधान और बेहतर नागरिक जुड़ाव सुनिश्चित करेगा। 'स्वागत सतीर्थ 2.0' जैसी पहलों ने प्रौद्योगिकी-सक्षम शासन सुधारों के माध्यम से उत्तरदायी प्रशासन और कर्मचारी कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को पहले ही प्रदर्शित किया है।

29.4. सरकार राज्य नागरिक पुरस्कार और लोक सेवा पुरस्कार जैसी पहलों के माध्यम से सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्टता को मान्यता देना भी जारी रखेगी। इसके साथ ही, राज्य से बाहर यात्रा करने वाले मरीजों और नागरिकों के लिए अधिक सहायता प्रणालियाँ, जिनमें बेहतर असम भवन सुविधाएं, ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली और समर्पित शटल सेवाएं शामिल हैं, नागरिक कल्याण और सार्वजनिक सुविधा को और मजबूत करेंगी।

माननीय सदस्यगण,

असम आज अपने इतिहास के एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। बुनियादी ढांचे, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, कृषि और शासन के क्षेत्रों में पिछले कई वर्षों में रखी गई मजबूत नींव ने राज्य के लोगों में एक नया विश्वास और नई आकांक्षाएं पैदा की हैं।

अगले पांच वर्ष समावेशी विकास, सामाजिक सद्भाव, पर्यावरणीय स्थिरता और समाज के हर वर्ग के लिए अवसर सुनिश्चित करके इस गति को स्थायी प्रगति में बदलने के लिए समर्पित होंगे। पहाड़ियों से लेकर मैदानों तक, बराक घाटी से लेकर बोडोलैंड तक, हमारे चाय बागानों से लेकर हमारे शहरी केंद्रों तक, हर क्षेत्र और हर समुदाय असम की इस परिवर्तन यात्रा में बराबर का भागीदार होगा।

श्रीमंत शंकरदेव के शाश्वत आदर्शों से प्रेरित होकर, जिनका सद्भाव, करुणा और सामूहिक कल्याण का संदेश असम की सभ्यतागत भावना को प्रेरित करता रहता है, मेरी सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ काम करती रहेगी। जैसा कि श्रीमंत शंकरदेव ने परिकल्पना की थी — “সকলোৰে মংগল, সকলোৰে উন্নতি” — सभी का कल्याण और सभी की प्रगति हमारे शासन का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।

आमी आख़ोमिया नहोउँ दुखिया
किहर दुखिया होम?
सकलु आछिल, सकलु आछे,
नुबुजो नलओँ गम।

शंकरे दिले विशुद्ध धरम
लाचिते बाहुत बल,
सती जयमती सतीत्व तेजेरे
अखमी आई प्रबल।

बाजक डबा, बाजक शंख

बाजक मृदंग खोल,
अखम आकौ उन्नति-पथत
जय आई अखम बुल।

– लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ।

जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था: “एक विचार लो। उस विचार को अपना जीवन बना लो; उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो।”
इसी भावना के साथ, और असम के लोगों तथा इस गरिमामयी सदन की सामूहिक शक्ति के साथ, हम 'विकसित भारत 2047' के दृष्टिकोण के अनुरूप एक समृद्ध, शांतिपूर्ण, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर सम्मानित असम के निर्माण की दिशा में नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे।

“चरैवेति चरैवेति” – निरंतर आगे बढ़ते रहना।

मुर देश, मुर असम (मेरा देश, मेरा असम) – प्रगति, एकता और आत्म-गौरव की एक नई यात्रा की दिशा में आगे बढ़ेगा।
इन शब्दों के साथ, मैं इस गरिमामयी सदन में अपना संबोधन समाप्त करता हूँ।

जय आई असम
जय हिंद।

Printed at the Assam Government Press, Guwahati-21, 2026